Revised RR for JD

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, अगस्त 25—अगस्त 31, 2019, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1941

No. 35] NEW DELHI, AUGUST 25—AUGUST 31, 2019, SATURDAY/BHADRA 3— BHADRA 9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(अंतर्राज्य परिषद सचिवालय)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 267.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1994 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्राज्य परिषद सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I) समूह 'ग' अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, अंतर्राज्य परिषद सचिवालय (स्टाफ कार ड्राइवर – समूह 'ग' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सा.का.नि.275.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में संयुक्त निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 है।

   2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संयुक्त निदेशक	02* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अनुनसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–12 (78800–209200 रु.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसे उप निदेशक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त संस्था से प्रबंधन या प्रशासन का तीन सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐ कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान या अनुसंधान संस्था के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की है (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो: **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भूविज्ञान में डॉक्टरेट। (ii) भूगोल या भूविज्ञान या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यकारी या संकाय की हैसियत में दस वर्षों का कार्य करने या अनुसंधान का अनुभव। **वांछनीय:** थिमैटिक मानचित्रों के तैयार करने की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान और मानचित्र सर्वर को संभालने में वेब मानचित्रण प्रौद्योगिकी का उद्भासन या अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करन की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'क' प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:-		प्रतिनियुक्ति(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	-अध्यक्ष;	
(ii) निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन	-सदस्य;	
(iii) संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौघोगिकी विभाग	-सदस्य;	
(iiii) संबंधित निदेशक, विज्ञान और प्रौघोगिकी विभाग	-सदस्य।	

[फा. सं.एस एम/01/10/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th May, 2019

G.S.R.275.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Joint Director) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Joint Director) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Joint Director.	2* (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service: Group 'A', Non-Ministerial, Gazetted.	Level-12 (`78800-209200).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director in level-11 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed three weeks management or administrative training from any recognised institution. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administration or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or recognized university or institute or research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in post in Level-11 in the pay matrix or	**Group 'A' Promotion Committee consisting of:** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (ii) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member (iii) Joint Secretary, Department of Science and Technology - Member (iv) Director concerned, Department of Science and Technology. - Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: **Essential:** (i) Doctorate in Geography or Geology from a recognised university. (ii) Ten years working or research experience in the field of Geography or Geology or Geo-Spatial Technologies in executive or faculty position. **Desirable:** Knowledge of modern techniques of preparing thematic maps and exposure to web mapping technology or experience in handling map server. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. SM/01/10/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2019

सा.का.नि.276.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन(ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

Corrigendum of Rly dr JD GSR No. 283 dt. 13/9/2019

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003−05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 37] नई दिल्ली, सितम्बर 8— सितम्बर 14, 2019, शनिवार/भाद्र 17—भाद्र 23, 1941

No. 37] NEW DELHI, SEPTEMBER 8— SEPTEMBER 14, 2019, SATURDAY/BHADRA 17— BHADRA 23, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

सा.का.नि.281.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद में प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद (प्रयोगशाला तकनीशियन) भर्ती नियम 2019 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.282.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 276, दिनांक 11 जुलाई, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (जयेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है:-

अनुच्छेद 1 की पंक्ति 3 के इन शब्दों "जिन्हें अधिक्रमण" को "जिन्हें ऐसे अधिक्रमण" पढ़ा जाए

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 1 के इन शब्दों "आयु-सीमा और अर्हताएं" को 'आयु-सीमा, अर्हताएं' पढ़ा जाए

अनुच्छेद 5 की पंक्ति 2 के शब्द 'वहाँ' को 'वह' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 3 की प्रविष्टि को 'साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अननसचिवीय के स्थान पर 'साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय" पढ़ा जाए

[फा. सं. एसएम/01/18/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th September, 2019

G.S.R. 282.—In Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Notification bearing GSR No. 276 dated 11th July, 2019 published in the Gazette of India, weekly publication dated August 25-31, 2019, the following correction shall be carried out in the English version of the Schedule annexed to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Senior Administrative Officer) Recruitment Rules, 2019:-

(1) In the existing entry appearing against Col. 12 of the Schedule annexed to the aforementioned recruitment rules (English version) the words 'Group 'A' Promotion Committee consisting of :' may be read as 'Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:'.

[F. No. SM/01/18/2017]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.283.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एतदद्वारा भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 275, दिनांक 10 मई 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (संयुक्त निदेशक) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धियाँ करता है :-

अनुच्छेद 2 की पंक्ति 2 में 'वह होगा' के स्थान पर 'वह होंगे' पढ़ा जाए

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 1 में 'और अर्हताएं' के स्थान पर 'और अन्य अर्हताएं' पढ़ा जाए

अनुच्छेद 6 की पंक्ति 3 में 'और अन्य' के स्थान पर 'अन्य' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ (3) में 'साधारण केन्द्रीय समूह 'क' राजपत्रित, अनुनसचिवीय' के स्थान पर 'साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 4 में 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रू.)' के स्थान पर 'स्तर-12 (78800-209200 रू.)' पढ़ा जाए

अनुसूची के स्तंभ 11में टिप्पण की पांचवीं पंक्ति में 'ऐ' के स्थान पर 'ऐसे' पढ़ा जाए

[फा. सं. एस एम/01/10/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2019

सा.का.नि.284.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एतदद्वारा भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 274 दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन (निदेशक) भर्ती नियम, 2019 के अनुपालन में भारत के राजपत्र, साधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना के हिन्दी पाठ में निम्नलिखित शुद्धि करता है:-

पैरा संख्या 5- शिथिल करने की शक्ति के दूसरे उप पैरा के रूप में मुद्रित उप पैरा को पैरा संख्या 4 निरर्हता के (ख) उपखण्ड के नीचे अन्तिम उप पैरा के रूप में प्रतिस्थापित करे तथा इस उप पैरा की पंक्ति 2 में शब्द 'यह' को 'वह' पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 1 की पंक्ति 1 में शब्द 'अनुक्षछेद' और पदत्त को 'अनुच्छेद' और प्रदत्त पढ़ा जाए।

अनुच्छेद 3 की पंक्ति 2 में शब्द 'वातें' को 'बातें' पढा जाए।

अनुच्छेद 4 (क) उपखण्ड की पंक्ति 1 में शब्द 'पत्नि' को 'पत्नी' पढ़ा जाए, उपखण्ड (ख) की पंक्ति 1 में शब्द 'जीवत' को 'जीवित' पढ़ा जाए तथा उपखण्ड (ख) के नीचे मुद्रित शब्द 'नियुक्ि' को 'नियुक्ति' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 3 में शब्द 'साधारण केन्द्रीय समूह' को 'साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 11 के अंतर्गत उपखण्ड (ख) के शब्द 'अनुभव हो' को 'अनुभव रखते हो' पढ़ा जाए।

अनुसूची के स्तंभ 12 के बिन्दु 2 की पंक्ति 1 के शब्द 'वैज्ञनिक' को 'वैज्ञानिक' पढ़ा जाए।

[फा.सं. एस एम/1/20/2017]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.16 15:53:59 +05'30'